समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-126(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक-20.09.2016 के द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड-N2245021010001 मद में कुल मो0-2,20,00,000/- (दो करोड़ बीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं चौसा को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क्रम सं0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
01	02	03	04	05
01	अंचल अधिकारी, आलमनगर	1,50,00,000=00	1,50,00,000=00	3,00,00,000=00
02	अंचल अधिकारी, चौसा	1,10,00,000=00	70,00,000=00	1,80,00,000=00
	कुल-	**2,60,00,000=00**	**2,20,00,000=00**	**4,80,00,000=00**

(मो0-दो करोड़ बीस लाख रुपये)

उपावंटन की शर्तें :-

(1) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड-N2245021010001 मांग संख्या-39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(2) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

(3) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1432/आ0प्र0 दिनांक-04.04.2016 एवं 1642/आ0प्र0 दिनांक-22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(6) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

(7) पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो सके, तो 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(8) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक :...815.../ आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक :...21.../...09.../2016

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडलाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।